यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला सेनानायक, होमगार्ड्स, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला सेनानायक, होमगार्ड्स, हल्द्वानी के 08/13 **से** 07/18 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल **व** श्री **पवन कोठारी,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री **शैलेंद्र कुमार पांडेय**, **वरिष्ठ** लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.08.2018 से 25.08.2018 तक श्री **नीरज च्रंगू**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग–प्रथम

1. **<u>परिचयात्मक</u>–इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री टी. एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा 21.08.2013 से 27.08.2013 तक सम्पन्न की गयी थी, जिसमे माह 06/2005 से 07/2013 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।**

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **08/2013 से 07/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(प) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र–**जिला नैनीताल**

(ii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवृत है:–

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(–)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015–16	.	.	21.12	20.88	451.29	445.80	.	05.73
2016–17	.	.	26.13	22.23	523.47	521.01	.	06.36
2017–18	.	.	27.93	27.93	546.32	546.28	.	0.04
2018-19 (07/2018 तक)	.	.	29.30	12.76	559.21	193.36	.	.

(**ब**)Autonomous Bodie विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः–शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार **एवं केंद्र सरकार द्वारा** किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **"सी"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

जिला सेनानायक
जिला कमांडेंट
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
वैतनिक निरीक्षक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला सेनानायक, होमगार्ड्स, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में लेन–देन–कम–अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला सेनानायक, होमगार्ड्स, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 1/16, 10/16, 5/17एवं 5/18 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'अ'

शून्य

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-1 : कल्याण कोष के प्रकरणो के निस्तारण मे विलम्ब ₹ 5.00 लाख।

कार्यालय के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि कार्यालय में कुल 474 स्वय सेवकों का दुर्घटना बीमा 02/2018 से 08/2018 तक नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या 6- लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें 107 होमगार्ड्स-10 होमगार्डस बीमा प्रीमियम अदायगी हेतु शासन द्वारा राज्य के स्वयं सेवकों के दुर्घटना बीमा हेतु विभाग को ₹ 40 लाख प्रविधानित किया था। इस सम्बंध में यह भी पाया गया कि कार्यालय द्वारा मुख्यालय से 474 स्वयं सेवकों के दुर्घटना बीमा न किए जाने व 04/02/2018 के उपरांत किसी हादसे में स्वयं सेवकों के मारे जाने अथवा घायल होने के कारण आश्रितों को बीमा कंपनी से मिलने वाली आर्थिक सहायता व सुरक्षा कैसे दी जायेगी, के लिया कोई अनुस्मारक अथवा कार्यवाही भी नहीं की थी। इसके अतिरिक्त कल्याण कोष की पत्रावली व अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 6 स्वय सेवकों का प्रकरण (4 सेवा पथक व 2 मृत्यु) आर्थिक सहायता हेतु निस्तारित नहीं किए गये है जिस कारण से स्वयं सेवकों को आर्थिक सहायता मिलने में विलम्ब हुआ है।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर अवगत कराया गया कि यद्यपि बीमा वित्त वर्ष 2018-19 हेतु करा लिया गया है, किन्तु कल्याण कोष से संबन्धित छः प्रकरणों में सिर्फ एक प्रकरण का निस्तारण हो सका है। शेष पाँच प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाई चल रही है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कल्याण कोष से सहायता प्रभावितों को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करा दी जानी चाहिए थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Part-II (B)

Para 2: Non-levy of service tax/GST by the department

Clarifications issued by the Service Tax Department in September 2011 provide that though the burden of Service Tax rests on the service recipient, the law requires the service provider to collect the tax from the service recipient on the services provided and deposit the same in the Government Account. Further, Para 7.2 and 7.3 envisaged that irrespective of whether the service provider receives the Service Tax from his client (service recipient) or not, he is legally bound to pay the due Service Tax in respect of the services rendered by him. However, the tax liability will be to the full extent on the total amount to be received by the service provider.

Audit Scrutiny revealed that Department did not levy Service Tax GST in respect of duty allowances of ₹ 41.32 lakh of volunteers in Home Guards, engaged in Food Corporation of India from 2013-14 to 2018-19.

During the inspection of HQs at Dehradun, it was observed that whenever department hired home guards from UPNL (Uttarakahnd Purva Sainik Kalyan Nigam Ltd.), UPNL charged surcharge @ 2.5% prior to implementation of GST @ 18% (9% CGST+9% SGST).

The department outsourced home guards to various semi-govt. offices /PSUs and charged wages but didn't realise service tax.

On this being pointed out, the department replied that duty of paying tax is of the receiver of services and there is no instruction in this regard.

The reply is not acceptable since it was the duty of the office to levy service tax/GST upon the service receiving department.

Therefore, the matter is being brought into the light of higher authorities.

STAN

Para 1: Failure to provide timely and proper/complete uniform to 474 home guard volunteers in the district.

As per Para 3.1 and 3.2 of the Compendium, Home Guards is a uniformed force and life span of a full set of uniform is one to four years.

Scrutiny of the records of the district commandant, Haldwani revealed that all items of uniform, as required to be provided to 474 volunteers, were either not procured fully, as per Para 3.1 and 3.2 of the Compendium, by the Home guard Headquarters or items were not procured and issued timely, as per the envisaged schedule, during the period 2015-18. It was also noticed that the items such as Sarees, Shoes leather brown etc. required to be issued to the woman platoon consisting 63 volunteers were also not received and issued at all before or after 2015-18 by the district commandant office. Further new set of uniforms were to be provided to the newly appointed 87 volunteers in the district who had joined the department in the year 2016. However, it was found that the newly recruited volunteers were not provided whole set of uniform. Thus, it may be said that these volunteers may have arranged uniforms at their own cost and also it is The violation of the above mentioned provisions.

On this being pointed out the department accepted the facts and stated that no pant, shirt, and shoes were provided to 474 volunteers. However, efforts will be made to provide uniform soon to the volunteers who are yet to receive the uniform. The reply itself proves the audit observation.

Thus, failure to provide timely and proper/complete uniform to 474 home guard volunteers in the district is brought to the notice of the higher authorities.

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
सा.क्षे./ले.प.प्रति.16/2013-14	शून्य प्रतिवेदन		

भाग–IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः–शून्य

भाग–V

आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना **संबंधी** सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला सेनानायक, होमगार्ड्स, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

   तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–शून्य**

2. सतत् अनियमिततायेंः–**शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष **व आहरण एवं वितरण अधिकारी** का कार्यभार वहन किया गया–

क.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री नवेन्दु तिवारी	जिलाकमांडेंट	20/12/12	2/7/14
2	श्रीमती प्रतिमा	जिला कमांडेंट	3/7/14	31/7/14
3	श्री दयानन्द सरस्वती	जिला कमांडेंट	31/7/14	6/1/15
4	श्री ललित मोहन जोशी	जिला कमांडेंट	7/1/15	8/2/15
5	श्री दीपक पंत	जिला कमांडेंट	9/2/15	15/2/15
6	श्री ललित मोहन जोशी	जिला कमांडेंट	16/2/15	24/4/15
7	श्री मदन मोहन पाठक	जिला कमांडेंट	25/4/15	11/11/16
8	श्री मोहन चन्द्र तिवारी	जिला कमांडेंट	12/11/16	24/7/18
9	श्री ललित मोहन जोशी	जिला कमांडेंट	25/7/18	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला सेनानायक, होमगार्ड्स, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र